संदर्भ: आईआरडीएआई/जीवन/विज्ञापन/विनियम/5/2023

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

(बीमा विज्ञापन और प्रकटीकरण) (पहला संशोधन) विनियम, 2023 Insurance Regulatory and Development Authority of India (Insurance Advertisements and Disclosure) (First Amendment) Regulations, 2023

एक्सपोज़र प्रारूप Exposure Draft

1) प्राधिकरण भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा विज्ञापन और प्रकटीकरण) विनियम, 2021 का संशोधन सिद्धांत आधारित दृष्टिकोण के अनुरूप करने का प्रस्ताव करता है।

The Authority proposes to amend the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Insurance Advertisements and Disclosure) Regulations, 2021 in line with the principle based approach.

- 2) उक्त संशोधन का उद्देश्य ग्राहकों के उपयोग के लिए विज्ञापनों का अभिकल्पन और अनुमोदन करते समय वरिष्ठ प्रबंधक-वर्ग पर उच्चतर दायित्व निश्चित करना है। The objective of the amendment is to assign higher responsibility on the senior management while designing and approving the advertisements for the consumption of the customers.
- 3) इस संबंध में, जारी किये जाने के लिए प्रस्तावित संशोधनों का प्रारूप और परिपत्र का प्रारूप टिप्पणियों / सुझावों के लिए प्रस्तुत हैं। In this regard, the draft amendments and the draft circular proposed to be issued are placed for comments / suggestion.
- 4) सभी हितधारकों से अनुरोध है कि वे उक्त विनियमों में प्रस्तावित संशोधन पर अपनी टिप्पणियाँ / सुझाव, यदि कोई हों, निर्दिष्ट फार्मेट में 25 मई 2023 को अपराहन 5.00 बजे तक life@irdai.gov.in को प्रस्तुत करें।

All the stakeholders are requested to submit their comments / suggestions, if any, on the proposed amendment in the regulations and draft circular in the given format on or before 5:00 PM on 25th May, 2023 to life@irdai.gov.in

सुझावों के लिए फार्मेंट इसके साथ संलग्न है। Format for suggestions is attached herewith.

कार्यकारी निदेशक (जीवन) / Executive Director (Life)